न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रुक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
113/अपील/15	15.09.2015	04.11.2019

मु. धापू पुत्री भैरू जाति नाई,
निवासी ग्राम डाबी, हाल निवासी ग्राम साथेली,
तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश आ0 मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
2. प्रकाश आ0 मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
3. दिनेश आ0 मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
4. मनोज बाई पुत्री मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तह. तालेडा
5. उमा कुमारी पुत्री मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तह. तालेडा
6. चित्रा कुमारी पुत्री मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तह. तालेडा
7. कान्ता बाई बेवा मांगीलाल जाति नाई, ग्राम डाबी, तह. तालेडा
8. जगदीश आ0 छीतर जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
9. रेखराज आ0 राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
10. गायत्री पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
11. कमलेश पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
12. टीना पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
13. हीरा पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
14. हेमलता पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
15. सुशीला बेवा राधेश्याम, जाति नाई, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

16.इन्द्रा चौहान पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर नि0 22 गुजर बस्ती केवलनगर कोटा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
17.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील तालेडा
18.राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील डाबी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 1 लगायत 15 की ओर से श्री शौकत अली, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 16 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 17 व 18 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार छीतर आ. बरधा जाति नाई निवासी भूति के फोत हो जाने पर मांगीलाल, राधेश्याम, जगदीश के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 02.8.16 पेश किया गया, जो बाद सुनवाई उभयपक्ष दिनांक 26.07.17 को अस्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों को इस अपील में अपठनीय माना गया। रेस्पो. की ओर से पुनः दिनांक 26.07.17 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया, जो बाद सुनवाई उभय पक्ष दिनांक 01.10.19 को स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात् को रेकार्ड पर लिया गया। तत्पश्चात अपीलांटस द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते संशोधन अपील पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 01.10.19 को ही स्वीकार किया जाकर संशोधन अपील पेश करने की अनुमति दी गई। अपीलांटा की ओर से दिनांक 09.10.19 को संशोधित अपील पेश की गई।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांटा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 वाके ग्राम डाबी में विस्थित 32 बीघा भूमि के मूल खातेदार बरधा थे, जिनके चार पुत्र छीतर, भैरू, प्रेमा, उदा पि0 बरधा जाति नाई निवासी भूती, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा थे। भैरू आ. बरधा अपीलांटा के पिता थे, जिनके वारिसानों में एक पुत्र गौरू व पुत्री अपीलांट धापू मौजूद थी। पक्षकारान् की ग्राम भूती, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा में भी खातेदारी की भूमि विस्थित है जिसमें भैरू आ. बरधा के फोती इंतकाल से मृतक भैरू की पुत्री अपीलांटा एवं पुत्र मृतक गौरू के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। किन्तु भैरू के सहोदर भाई छीतर का निधन हो जाने पर ग्राम डाबी में विस्थित आराजी पर उसका फौती नामान्तरकरण खुलवाते समय मृतक छीतर के वारिसानों मांगीलाल, राधेश्याम व जगदीश द्वारा अपीलांटा धापू के पिता भैरू को भी लाऔलाद मृतक मानकर संपूर्ण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.9.1975 अपने पक्ष में खुलवा लिया है, जो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 5 व धारा 8 में दिये गये उत्तराधिकार प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि तत्समय केवल छीतर का देहान्त हुआ था तथा अपीलांटा के पिता भैरू एवं पेमा, उदा पि0 बरधा जीवित थे। अपीलांटा या अपीलांटा के पिता द्वारा न तो अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया था और न ही रिलीजडीड आदि ही किया गया। तथाकथित शपथ पत्र आदि किसी भी कच्ची तहरीर के मार्फत किसी भूमि का नामान्तरकरण अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं खोला जा सकता है। इसके बावजूद उक्त नामान्तरकरण खोलते समय नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदारान् के वारिसान को बिना सूचना दिये सभी सहखातेदारान् को मृतक बताते हुये उन सभी सहखातेदारान् के हिस्सेदारी की भूमि का फौती नामान्तरकरण केवलमात्र छीतर के वारिसान के पक्ष में ही खोल दिया गया है, जो गैर कानूनी एवं भारी त्रुटि है। हालांकि उक्त नामान्तरकरण की पुष्ट पर हल्का पटवारी द्वारा केवल मात्र छीतर की मृत्यु होना लिखा गया है, इसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा बिना किसी रिपोर्ट के छीतर के साथ साथ भैरू व पेमा का देहान्त होना अंकित करते हुये सभी के हिस्से की जमीन केवल छीतर के वारिसान के पक्ष में दर्ज कर दी गई। उक्त अवैध नामान्तरकरण संख्या 6 के बाबत इस न्यायालय में खातेदार उदा आ0 बरधा के वारिसान भवाना आ0 उदा द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध अपने हिस्से तक अपील पेश की थी। उक्त अपील में मृतक भैरू के वारिसान को न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उनके हिस्सेदारी को क्लेम किया गया था। भवाना आ0 उदा द्वारा पेश उक्त अपील पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 से स्वीकार की जाकर निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो. द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

एवं राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलें पेश की गई। जहां से उक्त आदेश दिनांक 31.01.2008 को बहाल रखा गया था। किन्तु भैरू के वारिसानों के संदर्भ में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं होने से एवं उक्त अपील में अपीलांटा के पक्षकार नहीं होने से यह अपील पृथक से पेश की गई है। अपीलांटा को उक्त नामान्तरकरण के संदर्भ में दिनांक 24.8.15 को अपने हिस्से की भूमि का जुवारा मांगने जाने पर रेस्पो. द्वारा जुवारा अदा करने से मना करने एवं सम्पूर्ण भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा लिया जाना बताने पर हुई। पहले रेस्पो. खातेदार भैरू के हिस्से की भूमि पर काश्त करने के एवज में जुवारा अदा करते चले आ रहे थे। उसी दिन नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 31.08.15 को नकल प्राप्त होते ही बिना देरी के यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी और सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। यह प्रकिया न्यायालय के सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। जिससे अपीलांटा के सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान् के वारिसान की जांच कियेबिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य प्रभावी है। प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समयसीमा नहीं है, ऐसे अवैध नामान्तरकरण को किसी भी समय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अपीलांटा निरक्षर एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है, फिर भी किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाये जाने बाबत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1998 पेज 319, RRD 2009 पेज 195, RRD 2008 पेज 804, RRD 2007 पेज 681, RRD 2011 पेज 275, RRD 2012 पेज 413 व 420, RRT 2016(1) पेज 371, RRT 2016-17 पेज 721, DNJ 2017(3) पेज 1255, RRD 2013 पेज 221, की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपीलांटा के हक तक निरस्त किये जाने एवं मृतक खातेदार भैरू आ0 बरधा के हिस्से तक अपीलांटा के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 15 ने बहस के दौरान तर्क पेश किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निर्णीत किया जावे तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटा द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है वह दिनांक 22.09.1975 का है, जिसके विरूद्ध अपील

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेश करते समय 40 वर्ष की अवधि गुजर चुकी थी। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135 में पारित आदेश की अपील के लिए 30 दिन की अवधि है, किन्तु अपीलांटा द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है, जो प्रकटतः ही अवधि बाधित है। वैसे अपीलांटा को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही है। क्योंकि अपीलांटा को इस बात की जानकारी थी कि उसके पिता भैरू ने लिखा पढी करके अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर संवत् 2025 (वर्ष 1968–69) को उनके हिस्से की जमीन का हकत्याग अपने भाई छीतर के पक्ष में कर दिया है। तब से ही उक्त भूमि पर छीतर एवं उनके वारिसान निरन्तर काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है। उक्त समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपीलांटा द्वारा दिनांक 21.04.2009 को 10 रूपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र, जो पब्लिक नोटेरी से तस्दीक है, द्वारा यह घोषणा की थी कि भैरू जी के भाई छीतर का विवाह ग्राम डाबी में हुआ है और लगभग 80 वर्ष पूर्व छीतर जी ग्राम भूती को छोडकर अपने सुसराल ग्राम डाबी में चले गये एवं वही पर बस गये। ग्राम डाबी में जो सम्पत्ति है वह उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। खसरा संख्या पुराने 819 वर्तमान खसरा संख्या 1084 में भैरू, पेमा, उदा जी का कोई हक नहीं है, न ही उनका कोई कब्जा रहा है। उक्त जमीन भैरू, पेमा, उदा जी के नाम पर गलत दर्ज हो गई है जिस पर उनका व अपीलांटा का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलांटा द्वारा अब जमीन की कीमतें बढ जाने से रकम ऐठने के लिए यह अपील मियाद बाहर तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटा द्वारा जानबूझकर काफी विलम्ब से अपील पेश की है, जिसमें विलम्ब क्षमा करने का कोई समुचित कारण नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार होने योग्य नहीं है। ऐसे में अपीलांटा का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाने एवं अपील अपीलांटा अवधि बाधित होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

अभिभाषक रेस्पो.सं. 16 द्वारा भी बहस के दौरान अपील अपीलांटा अत्यधिक विलम्ब से पेश होना बताते हुये विलम्ब के संबंध में समुचित कारण न होने से अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश

जिला कलेक्टर; बून्दी

दिनांक 22.9.1975 को पारित कियागया है जिसकी अपील दिनांक 09.9.2015 को पेश की गयी है। अपीलांटा द्वारा स्वयं को मृतक सहखातेदार भैरू की पुत्री होना बताया तथा अपील विषयक आराजी पर अपीलांटा का भी कब्जा होना बताया गया है, इसके बावजूद अपीलांटा को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 40 वर्षो तक नहीं हो पाने के क्या कारण रहे है, यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उसके द्वारा कहीं अंकित नहीं किया गया, केवल दिनांक 24.08.2015 को जुवारा काश्त अदा न करने एवं रेस्पो. द्वारा बताये जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होना बताया। इस संबंध में रेस्पो.सं.1 लगायत 16 को आपत्ति है कि अपीलांटा को अपीलाधीन नामान्तरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

वैसे यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 84/2007 बउनवान भवाना आ0 उद्दा बनाम मांगीलाल आ0 छीतरलाल नाई वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 में गुणावगुण पर विस्तृत परीक्षण किया जा चुका है। जिसमें उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय मृतक खातेदारान् के वैध उत्तराधिकारियों की जांच नहीं किये जाने एवं उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 को दोषपूर्ण मानते हुये निरस्त किया जा चुका है तथा बाद जांच एवं सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई थी। ऐसे में अपीलांटा के उक्त अपील में पक्षकार न होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच मृतक खातेदारान् की उत्तराधिकारी पाये जाने की स्थिति में अपीलांटा को भी सुना जाना है। अतः अपीलांटा को अधीनस्थ न्यायालय से अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यदि अपीलांटा असंतुष्ट है तो उक्त आदेश की अपील की जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2008 से पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 बाबत पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अस्तित्वहीन आदेश के विरूद्ध पेश की गई अपील निरर्थक प्रतीत होती है।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटा द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटा पेश करने में पूर्णतः असफल रही हैं। ऐसे में विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटा मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूकमणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.11.19 11:12:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: